प्रकरण संख्या 06/2022 श्रीमती जसवन्त कुंवर बनाम प्रवीण व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2024	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिसारमा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 2349 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खातेदारी की होकर मौके पर आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त आराजी शहर के पास स्थित होने से विपक्षीगण मनमकसूद तरीके से निर्माण कार्य कर मकान बनाने पर आतुर हैं तथा मौके पर नींव खोद रहे हैं, जबकि अभी उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कंवरलाल मीणा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं हुआ है इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये मनमकसूद तरीके से अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन कानूनी बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा संतुलन पर कोई विवेचन नहीं किया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2011 21 RCR (Civ) 683, 2012 2 RLW (RJ) 813, 2011 0 Supreme (Raj) 1407, 2012 2 WLC 225 एवं 2006 0 Supreme (Raj) 1825, 2007 RLW (RJ) 22 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पक्षकारान विवादित आराजी के सहखातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2009 1 RLW (RJ) Page 483, 2013 1 RLW (RJ) Page 666, 2013 1 RLW (RJ) Page 409, 2003 0 RLW (RJ) Page 488 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थित है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण विवादित आराजी के सहखातेदार हैं एवं सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है तथा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक सहखातेदार को उसके उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने भी सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना मानते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना है एवं इस आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 26.10.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested